...य भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,

अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
12.7.17	पत्रावली पेश हुई। कमेन्ट रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील अर्जी रजिस्टर्ड हो। अपील के केवियट प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है अतः केवियटर को लिखित नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 19.7.17 को पेश हो।	
19.7.17	अभिभाषक अपीला०/ रेस्पो० उपस्थित। अतः पत्रावली वास्ते इंतजार तामील दिनांक 20.7.17 को पेश हो।	
20.7.17	[illegible]ण न बार एसोसियशन के निर्णय [illegible] किया हुआ है। अतः पत्रावली [illegible] स्टे बहस दिनांक 24.7.17 को पेश हो। रेस्पो. सं. 1 की ओर से श्री मोहन सिंह नरूका एड. ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।	
24.7.17	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलान्टस एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या एक उपस्थित आये। स्थगन प्रार्थना-पत्र पर दोनो पक्षों के अभिभाषकों की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि तहत अदालत द्वारा बार-बार इन्ही खसरा नम्बरान पर पूर्व में भी स्थगन दिया गया था, जिनकी अपील इस न्यायालय में पेश होने पर स्थगन आदेश निरस्त किये गये थे। चूंकि अपीलान्टस सहखातेदार हैं, ऐसी स्थिती में बार-बार उन्ही खसरा नम्बरों पर स्थगन दिया जाना अनुचित समझते हैं। अतः आदेश दिया जाता है कि तहत न्यायालय द्वारा पूर्व से इन्ही खसरा नं. पर जारी आदेशों की समस्त पत्रावली एकजाई रखकर दोनो पक्षों को सुनकर पुनः निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। न्यायिक अधिकारी	

---- लगातार

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
	न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने में सन्नद्ध रहें। तहत न्यायालय की एकपक्षीय निषेधाज्ञा अपीलान्टस के हिस्से तक स्थगित करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर को निर्णय हेतु पुनः प्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर, बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर की जावे। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर	

Scanned by CamScanner